न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी डॉ. एल.एन. बुनकर (आर.ए.एस.)

दावा संख्या– 99 / 2018

वाद प्रस्तुति दिनांक :–25.07.2018

निर्णय दिनांकः– 16.10.2019

उनवान

1. रामनिवास पुत्र रामरतन जाति –बैरवा निवासी ग्राम पांसरोटिया, तह0–पीपलू जिला–टोंक
2. कजोड़ पुत्र रामरतन जाति –बैरवा निवासी ग्राम पांसरोटिया, तह0–पीपलू जिला–टोंक

वादीगण

बनाम

1. बद्री पुत्र देवा जाति –बैरवा निवासी ग्राम–पांसरोटिया, तह0–पीपलू जिला–टोंक
2. नानगा पुत्र श्योजी जाति –बैरवा निवासी ग्राम–पांसरोटिया, तह0–पीपलू जिला–टोंक
3. कमला पत्नि रामनिवास जाति –बैरवा निवासी ग्राम–पांसरोटिया, तह0–पीपलू जिला–टोंक
4. मन्नी पत्नि कजोड़ जाति –बैरवा निवासी ग्राम–पांसरोटिया, तह0–पीपलू जिला–टोंक
5. लाड़ा पत्नि बद्री जाति –बैरवा निवासी ग्राम–पांसरोटिया, तह0–पीपलू जिला–टोंक
6. बदाम पत्नि बोदू जाति –बैरवा निवासी ग्राम–पांसरोटिया, तह0–पीपलू जिला–टोंक
7. तहसीलदार, पीपलू जिला–टोंक
8. एस.बी.आई. बैंक शाखा–टोंक, जिला–टोंक

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् तकास्मा आराजीयात</u>

अधिवक्ता वादीः– श्री राजराम चौधरी

अधिवक्ता प्रतिवादीगणः– श्री कमलेश कुमार गुर्जर

निर्णय दिनांकः–11.10.2019

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में तहसीलदार पीपलू से दिनांक 24.08.2018 को चाही गई तकास्मा रिपोर्ट दिनांक 18.07.2019 को दो–दो प्रतियों में पेश की जा चुकी है। जो शामिल पत्रावली हैं।

पक्षकारान की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली व प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट पर पक्षकारान् के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी हैं। न्यायालय में उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित हैं। अधिवक्तागण श्री राजाराम चौधरी एवं श्री कमलेश कुमार गुर्जर ने तकास्मा रिपोर्ट से सहमत होते हुए तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया हैं।

अतः दावा बाबत् तकास्मा स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट आराजी ख0न0 41 रकबा 01 बिस्वा, ख0न0 42 रकबा 03 बिस्वा, ख0न0 43 रकबा 15 बिस्वा, ख0न0 57/1 रकबा 05 बिस्वा, ख0न0 61 रकबा 13 बिस्वा, ख0न0 557 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 06 कुल रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम पांसरोटिया की भूमि प्रतिवादी संख्या–2 नानगा पुत्र श्योजी के नाम रहेगी। आराजी ख0न0 16/1 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 01 कुल रकबा 19 बिस्वा वाके ग्राम पांसरोटिया की भूमि वादी संख्या–1 रामनिवास पुत्र रामरतन के नाम रहेगी। आराजी ख0न0 16/2 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 01 कुल रकबा 19 बिस्वा वाके ग्राम पांसरोटिया की भूमि वादी संख्या–2 कजोड पुत्र रामरतन के नाम रहेगी। आराजी ख0न0 57/2 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, ख0न0 60 रकबा 11 बिस्वा, ख0न0 559 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम पांसरोटिया की भूमि प्रतिवादी संख्या–01 बद्री पुत्र देवा के नाम रहेगी। आराजी ख0न0 628 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 01 कुल 01 बीघ 13 बिस्वा वाके ग्राम पांसरोटिया की भूमि में प्रतिवादी संख्या–2 नानगा पुत्र श्योजी का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या–1 बद्री पुत्र देवा का हिस्सा 1/3 एवं वादीगण 01 ता 02 रामनिवास, कजोड पि0 रामरतन का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा रहेगा। आराजी ख0न0 936/2 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 01 कुल रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम पांसरोटिया की भूमि में प्रतिवादी संख्या–06 बदाम पत्नि बोदू का 19/27 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या–02 नानगा पुत्र श्योजी का 8/27 हिस्सा रहेगा। आराजी ख0न0 936/4 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा कुल किता

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

01 कुल रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम पांसरोटिया की भूमि में वादी संख्या–01 रामनिवास पुत्र रामरतन का 67/86 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 03 कमला पत्नि रामनिवास का 19/86 हिस्सा रहेगा। आराजी ख0न0 936/3 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 01 कुल रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम पांसरोटिया की भूमि में वादी संख्या–2 कजोड़ पुत्र रामरतन का 67/86 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 04 मन्नी पत्नि कजोड़ का 19/86 हिस्सा रहेगा। आराजी ख0न0 936/1 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम पांसरोटिया की भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 बद्री पुत्र देवा का 8/27 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 05 का लाड़ा पत्नि बद्री का 19/27 हिस्सा रहेगा। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न भाग हैं। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं नक्शा शीट तकास्मा अनुसार तरमीम करें। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। नॉन ज्यूडिश्यिल स्टाम्प पेश होने पर डिक्री जारी हों। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(डॉ. एल.एन. बुनकर)
उप खण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू
पीपलू (टोंक)